

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- महाराजगंजचोरी गये मोबाइल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी गये 04 मोबाइल व अवैध असलहा कारतूस बरामद।पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 10.11.2023 को वादी मुकदमा चन्द्रप्रकाश यादव पुत्र श्री नन्हकू यादव ग्रा0 युसूफपुर पो0 नेवादा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा ईंट भट्टा के झुग्गी से 06 मोबाइल व रुपया चोरी कर ले गये है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 350/23 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 सुभाषचन्द्र दुबे द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना से अभियुक्त 1. अनिल नोना पुत्र लालपति निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष 2. सोनू नोना पुत्र बबलू नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष का नाम अभियुक्तगण का बयान से प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 27.11.2023 को उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. सोनू नोना पुत्र बबलू नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष व 2. अनिल नोना पुत्र लालपति निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को समय करीब 10.55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त सोनू नोना के पास से एक मोबाइल, 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा अभियुक्त अनिल नोना के पास से तीन मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सोनू नोना के विरुद्ध मु0अ0सं0 375/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक- 09.11.2023 की रात मे ईंट भट्टा ग्राम चौरासी पर झुग्गी मे घुसकर मोबाइल चोरी किया गया था। जिसको हम लोग आज बेचने जा रहे थे कि आप लोगो ने आकर हमे पकड़ लिया बरामद तमन्चा के बारे में पूछने पर बताते है कि साहब हम लोग इससे लोगो को डराने के लिए अपने पास रखे है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 375/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 350/23 धारा 380/411 थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सोनू नोना पुत्र बबलू नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

2. अनिल नोना पुत्र लालपति निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त सोनू नोना के पास से एक मोबाइल, व 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

2. अभियुक्त अनिल नोना के पास से तीन मोबाइल बरामद होना।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- सोनू नोना पुत्र बबलू नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

1. मु0अ0सं0 350/23 धारा 380/411 थाना महाराजगंज आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 375/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 24/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

अभियुक्त- अनिल नोना पुत्र लालपति निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

1. मु0अ0सं0 350/23 धारा 380/411 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

प्र0नि0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 देवेन्द्र गिरी ,हे0का0 भीम प्रसाद व का0 मिथिलेश पासवान थाना महाराजगंज आजमगढ़

थाना – अहरौला
हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 15.09.2023 को आवेदक मूलचन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० रामधारी पाण्डेय निवासी ग्राम सीरपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने एक लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 14.09.2023 को विपक्षी 1. हरेन्द्र पाण्डेय पुत्र अमृतप्रसाद पाण्डेय 2. धीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र अमृतप्रसाद पाण्डेय 3. अंजली पत्नी हरेन्द्र पाण्डेय निवासीगण ग्राम सीरपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा इण्डिया मार्का मशीन से बच्चो को पानी लेने से मना किया गया और गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए अंजली पत्नी हरेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम सीरपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के ललकारने पर हरेन्द्र व धीरेन्द्र पाण्डेय पुत्रगण अमृतप्रसाद पाण्डेय पता उपरोक्त ने ईटा फेक कर मेरे भतीजा विपिन उर्फ सतीश पाण्डेय पुत्र हेमचन्द्र पाण्डेय को मारने लगे कि शोर पर गाँव के तमाम लोगो ने बीच बचाव किया मेरे भतीजे को काफी चोटे लगी है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 0298/23 धारा 323/504/506/336 भादवि बनाम 03 नफर पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० सुरेन्द्रनाथ को सुपुर्द हुई तत्पश्चात विवेचना उ०नि० फूलन यादव को प्राप्त हुई जिनके द्वारा विवेचना ग्रहण कर विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान दिनांक 05.10.2023 को धारा 325/307 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी उक्त विवेचक के स्थानान्तरण पर चले जाने के उपरान्त विवेचना उ०नि० कुलदीप सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 26.11.2023 को उ०नि० कुलदीप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र अमृत प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम सीरपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को पश्चिमपट्टी प्राठशाला सर्विस रोड के पास समय करीब 16.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 298/23 धारा 323/504/506/336/325/307 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1- धीरेन्द्र पाण्डेय उर्फ विगुल पाण्डेय पुत्र अमृत प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम सीरपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 24 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० कुलदीप सिंह, का० आलोक कुमार व का० अरविन्द कुमार यादव थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुर
किशोरी के साथ छेड़खानी करने के 02 अरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 24.11.2023 को वादिनी/पीड़िता द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि विपक्षी 1. अनिकेत पुत्र दुधई 2. चीकू पुत्र पुटेली साकिनान फैजुल्लापुर उगायें थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर में आकर वादिनी व उसकी 02 पुत्रियों को मारना पीटना छेड़खानी किया गया, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 377/2023 धारा 354/323 /354बी भादवि व 7/8 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ०नि० विजय नरायण पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 27.11.2023 को उ०नि० श्री विजय नरायण पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अनिकेत पुत्र दुधई 2. चीकू पुत्र पुटेली साकिनान फैजुल्लापुर उगायें थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ को सदाफल तिराहे, मुहम्मदपुर के पास समय करीब 10.10 बजे पकड़ लिया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणो को मा० न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 377/2023 धारा 354/323 /354बी भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अनिकेत पुत्र दुधई ग्राम फैजुल्लापुर उगायें थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

2. चीकू पुत्र पुटेली ग्राम फैजुल्लापुर उगायें थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ०नि० श्री विजय नरायण पाण्डेय मय हमराह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना – अहरौला
लूट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 26.11.2023 को आवेदक गोदालाल पुत्र राजपाल सिंह निवासी काजिमाबाद थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ ने एक लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 25/26.11.2023 की रात्रि लगभग 11 बजे मैं अपनी दुकान (खजला) जो दुर्वाषा ऋषि आश्रम के पास गजड़ी ग्राम में है पर सो रहा था तभी अतुल यादव S/O तिलक धारी यादव व प्रिंस यादव S/O गोरख यादव निवासीगण महुआरा व सुरजीत यादव S/O हरीराम यादव निवासी समसाबाद थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व कुछ अज्ञात व्यक्ति मेरे दुकान पर मोटर साइकिल से आये। मैं और मेरा परिवार सोये हुए थे तभी हमसे कहने लगे कि मुझे ताजा खजुला बनाकर दो, मैंने मना किया तो गाली देते हुए मारने लगे तथा पूर्व में बनाया गया खजुला जो थार स्टील में रखा गया था उसे जबरदस्ती हम लोगों से लूट कर लेकर चले गये तथा हम लोगों को जान मारने की धमकी दिये कि कही कहोगे तो तुम लोगों को गोली से मार दूंगा आवेदक की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 395/23 धारा 392/323/504/506 भादवि बनाम 1. अतुल यादव पुत्र तिलकधारी यादव 2. प्रिंस यादव पुत्र गोरख यादव निवासीगण महुआरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. सुरजीत यादव पुत्र हरीराम यादव निवासी समसाबाद थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व कुछ अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 पवन कुमार सिंह के सुपुर्द हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिनांक 26.11.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुरजीत यादव पुत्र हरीराम यादव निवासी ग्राम समशाबाद थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष 2. प्रिंस यादव पुत्र गोरख यादव निवासी महुआरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष को महलिया पश्चिमपट्टी ईट भट्टा के पास समय करीब 14.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मोटर साइकिल नम्बर UP50BW8154 (हिरो स्पीलेडर प्लस) बरामद हुयी, कागजात मांगा गया तो नहीं दिखा सके जिसे धारा 207 MV ACT में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 395/2023 धारा 392/323/504/506/411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. सुरजीत यादव पुत्र हरीराम यादव निवासी ग्राम समशाबाद थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष
2. प्रिंस यादव पुत्र गोरख यादव निवासी महुआरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास सुरजीत यादव...

1-मु0अ0सं0 119/2018 धारा 147/323/341/427/504 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह, का0 नीरज कुमार व का0 प्रदीप यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।